न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :–175/2018

रजू दिनांक :–01.08.2018

उनवान :– 1. कृष्ण कुमार पुत्र घीसाराम पौत्र मोहन जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0 नीमराना।

2. रमेशचन्द पुत्र जयराम पौत्र मोहन जाति चमार निवासी काठूवास तह. नीमराना।

–वादीगण।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सूरजभान पौत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
2. पप्पू पुत्र सूरजभान पौत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
3. रामपत पुत्र सूरजभान पौत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
4. गीता पुत्रीसूरजभान पौत्री रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
5. झाबर उर्फ थावर पुत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0 नीमराना।
6. रामलखन पुत्र मातादीन पौत्र तोता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
7. लाली बेवा मातादीन पुत्रवधु तोताजाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
8. ताराचन्द पुत्र मंगल पौत्र मानजाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
9. दीपक पुत्र श्यामलाल पौत्र मंगल पडपौत्र मानजाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
10. पुत्र श्यामलाल पौत्र मंगल पडपौत्र मानजाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
11. जलेसिंह पुत्र मोहन उर्फ सोहन पौत्र जैता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0 नीमरान।
12. बिद्यू पुत्री नेता पौत्री जैता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह. नीमराना।
13. गुरुदयाल पुत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0 नीमराना।
14. उपपंजीयक मॉढ़ण।
15. तसहीलदार,नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

16. सुबेसिंह पुत्र घीसाराम पौत्र मोहन जाति चमार
17. सरजीत पुत्र घीसाराम पौत्र मोहन जाति चमार
18. वलंवत पुत्र घीसाराम पौत्र मोहन जाति चमार
19. कर्मवीर पुत्र सुरेशचन्द पौत्र घीसाराम पडपौत्र मोहन जाति चमार

अधिकारी
(अलवर)

/2023

20. वीरेन्द्र सिंह पुत्र सुरेशचन्द पौत्र घीसाराम पडपौत्र मोहन जाति चमार
21. रेखा पुत्री सुरेशचन्द पौत्री घीसाराम पडपौत्री मोहन जाति चमार
22. मनीषापुत्री सुरेशचन्द पौत्री घीसाराम पडपौत्री मोहन जाति चमार।
23. इन्द्रमीण बेवा सुरेशचन्द पुत्रवधू घीसाराम जाति चमार
24. चन्द्रप्रकाश पुत्र जयराम पौत्र मोहन जाति चमार
25. जसवंत पुत्र जयराम पौत्र मोहन जाति चमार
26. मूर्ति देवी बेवा जयराम पुत्रवधू मोहन जाति चमार निवासीयान ग्राम काठूवास तह0 नीमराना।
27. ग्राम पंचायत काठूवास जरिये सरपंच।

तर0प्रतिवादीगण।

<u>दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज एंव विभाजन कृषि भूमि व हु0ई0दवामी</u>
प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 05 व धारा 151 जा0दी0।

उपस्थितिः—

1. **श्री हरप्रीत यादव वकील वादीगण की ओर सें।**
2. **श्री मकरध्वज शर्मा वकील प्रति0 की ओर सें।**

दिनांकः 24.05.2023

आज पत्रावली पेश हुई प्रा0पत्रों के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः—

वादीगण ने दावा इस्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी पेश कर निवेदन किया की आराजी ख.नं. हाल 269/0.06,536/0.13,280/0.41 वाके ग्राम काठूवास वादीगण व असल प्रतिवादीगण सं. 01 लगा. 13 व तर.प्रति. की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। संयुक्त रूप से काबिज रह कर काश्त करते चले आ रह है। तथाद परसा पुत्र जीवन व जयदेई पत्नी पूर्ण लावल्द फौत हो चुके हे तथा वादीगण के पिता घीसाराम व जयराम फौत हो चुके है जिनके परिवार का सजरा वाद मे अंकित किया जा रहा है। वादीगण व तर0प्रति0 सं. 16 लगा. के पिता घीसाराम,जयराम पुत्रान मोहन का स्वर्गवास हो चुका है जिस सूरत मे इनका नाम 1/12 भाग से कलमजन किया जाकर मुताबिक परिवार सजरा एंव कब्जा के वादी सं0 01 को 1/20 व वादी सं. 02 को 1/96 भाग व तर0प्रति0 सं0 16,17 व 18 प्रत्येक को 1/20,1/20 भाग का व तर0प्रति0 सं0 19 लगा0 23 को 1/20 भाग का व तर0प्रति0 24 लगा0 26 प्रत्येक को 1/96,1/96 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर जाति अहीर के स्थान पर चमार अंकित की जावे तथा इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जावे तथा उक्त भूमि का अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे सेद बुरी भूमि के कुर्रे कायम किए जा कर अलग से खाता कायम कराया जावे।

उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए रेशमीदेवी पत्नी चन्दीराम,रमेश,पौमीलाल,सतीश पुत्रान चन्दीराम,सुशीला,राजेश पुत्रीयान चन्दीराम जाति चमार निवासी काठूवास ने प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 पेश कर उन्हें वाद मे पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश किया। उक्त आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 का प्रा0पत्र न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.04.2019 को स्वीकार किया जाकर इन्हें पक्षकार मुकदमा बनाये जाने के आदेश दिये जाकर वादी को संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश करने के आदेश दिए गए,परन्तु वादी को बार—बार अवसर दिये जाने पर भी संशोधित शीर्षक पेश नही किए जाने पर झावर उर्फ थावर पूत्र रता ने एक प्रा0पत्र आदेश 09 नियम 05 व धारा 151 जा0दी0 दिनांक 19.04.2023 को पेश किया कि न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 01.08.2018 को स्टे आदेश इस आदेश के साथ जारी किया गया था कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण की रजि0 तामिल भरकर तामिल करावे,रजि0 नही भरने की सूरत मे सगिन आदेश निष्प्रभावी माने जावेगा। इसके बाद उक्त वाद मे प्रति.सं. 28 पर रेशमी देवी को 29 पर रमेश को 30 पर पौमीलाल को 31 पर सतीश को 32 पर सुशीला को 33 पर राजेश को प्रतिवादीगण की जद मे बनाये जाने के आदेश न्यायालय श्रीमान द्वारा दिया हुआ है।

धिकारी
लवर)

वादे मे कोई भी संशोधन होने या पक्षकार मुकदमा बनाये जाने पर संशोधित वाद या संशोधित शिर्षक न्यायालय के आदेश दिए जाने के 14 दिवस की अवधि मे पेश करने की जिम्मेवारी कानूनन वादी की होती है लेकिन आदेश के काफी दिन बित जाने के बाद भी संशोधित टाइटल पेश नही किया गया है,इसलिए वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान के आदेश की अदम पालना मे वादी का वाद चलने योग्य नही है इसलिए वादी के वादपत्र को आदेश 09 नियम 05 जा0दी0 के तहत खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

वादीगण / अप्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र को अस्वीकार करते हुए दिनांक 27.04.2023 को जवाब पेश किया है कि प्रार्थी / प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र गलत है,स्वीकार नही है।हम वादीगण के रिश्तेदार के बिमार होने के कारण रिश्तेदार के पास चले गये जिससे वकील साहब से संपर्क नही हो सका तथा अब हम अपने वकील साहब से संपर्क करने पर उक्त बात बताई जिससे जानकारी एंव ज्ञान होने पर प्रा0पत्र संशोधित शीर्षक आज ही पेश किया जारहा है इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा0पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे। हम वादीगण देहाती व्यक्ति है कानून कायदे की जानकारी नही है,इसलिए बिना देरी के आज संशोधित शीर्षक पेश किया जा रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रा0पत्र आदेश 09 नियम 05 व धारा 151 जा0दी0 पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.04.2019 को आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को संशोधित टाईटल पेश करने के आदेश दिए गये थे। इसके पश्चात दिनांक 22.08.2022 को संशोधित टाईटल पेश करने के आदेश दिए गए,इसके पश्चात भी वादी द्वारा नियत अवधि 14 दिवस मे भी संशोधित शीर्षक पेश नही किया गया। जब प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19.04.2023 को प्रा0पत्र आदेश 09 नियम 05 व धारा 151 जा0दी0 का प्रा0पत्र पेश किया तब आज दिनांक 27.04.2023 को वादी द्वारा इस प्रा0पत्र का जवाब पेश करते हुए संशोधित शीर्षक पेश किया गया। जो संशोधित शीर्षक नियत अवधि मे पेश नही होने के कारण स्वीकार योग्य नही है। इस प्रकार साबित होता ह कि वादी को बार –बार अवसर दिए जाने के बाद भी संशोधित शीर्षक पेश नही किया गया। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 05 व धारा 151 जा0दी0 कानूनन स्वीकार किए जाने योग्य है। तथा वाद वादी काबिल खारिज है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 09 नियम 05 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वाद वादी इस्तकरार हक,दुरुस्ती इन्द्राज एंव विभाजन कृषि भूमि व हु0ई0दवामी आ0ख0नं0 हाल 269/0.06,536/0.13,280/0.41 वाके ग्राम कादूवास तह0नीमराना खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

ह0/ 24/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

[?]ा संख्या :– 175/2018
[?]ु. दिनांक :– 01.08.2018

[?]नवान :– 1. कृष्ण कुमार पुत्र घीसाराम पौत्र मोहन जाति चमार निवासी ग्राम
[?]ाठूवास तह0 नीमराना।

2. रमेशचन्द पुत्र जयराम पौत्र मोहन जाति चमार निवासी काठूवास तह. नीमराना।

—वादीगण।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सूरजभान पौत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
2. पप्पू पुत्र सूरजभान पौत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
3. रामपत पुत्र सूरजभान पौत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
4. गीता पुत्रीसूरजभान पौत्री रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
5. झावर उर्फ थावर पुत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0 नीमराना।
6. रामलखन पुत्र मातादीन पौत्र तोता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
7. लाली वेवा मातादीन पुत्रवधु तोताजाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
8. ताराचन्द पुत्र मंगल पौत्र मानजाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
9. दीपक पुत्र श्यामलाल पौत्र मंगल पडपौत्र मानजाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
10. पुत्र श्यामलाल पौत्र मंगल पडपौत्र मानजाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0नीमराना।
11. जलेसिंह पुत्र मोहन उर्फ सोहन पौत्र जैता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0 नीमरान।
12. विद्यू पुत्री नेता पौत्री जैता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह. नीमराना।
13. गुरुदयाल पुत्र रता जाति चमार निवासी ग्राम काठूवास तह0 नीमराना।
14. उपपंजीयक मॉढण।
15. तसहीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण। असल

16. सुबेसिंह पुत्र घीसाराम पौत्र मोहन जाति चमार
17. सरजीत पुत्र घीसाराम पौत्र मोहन जाति चमार
18. बलंवत पुत्र घीसाराम पौत्र मोहन जाति चमार

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

19. कर्मवीर पुत्र सुरेशचन्द पौत्र घीसाराम पडपौत्र मोहन जाति चमार
20. वीरेन्द्र सिंह पुत्र सुरेशचन्द पौत्र घीसाराम पडपौत्र मोहन जाति चमार
21. रेखा पुत्री सुरेशचन्द पौत्री घीसाराम पडपौत्री मोहन जाति चमार
22. मनीषापुत्री सुरेशचन्द पौत्री घीसाराम पडपौत्री मोहन जाति चमार।
23. इन्द्रमीण बेवा सुरेशचन्द पुत्रवधू घीसाराम जाति चमार
24. चन्द्रप्रकाश पुत्र जयराम पौत्र मोहन जाति चमार
25. जसवंत पुत्र जयराम पौत्र मोहन जाति चमार
26. मूर्ति देवी बेवा जयराम पुत्रवधू मोहन जाति चमार निवासीयान ग्राम काठूवास तह0 नीमराना।
27. ग्राम पंचायत काठूवास जरिये सरपंच।

तर0प्रतिवादीगण।

<u>दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज एंव विभाजन कृषि भूमि व हु0ई0दवामी</u>

प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 05 व धारा 151 जा0दी0।

पस्थितिः—

1. **श्री हरप्रीत यादव वकील वादीगण की ओर सें।**
2. **श्री मकरध्वज शर्मा वकील प्रति0 की ओर सें।**

नांकः 24.05.2023

—:पर्चा डिक्रीः—

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 09 नियम 05 व धारा 151 जा0दी0 **ोकार किया** जाकर वाद वादी इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्रज एंव विभाजन कृषि भूमि व **ई0दवामी** आ0ख0नं0 हाल 269/0.06,536/0.13,280/0.41 वाके ग्राम काठूवास **0नीमराना** खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले **ायालय मे** सुनाया गया।

24/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)